



( सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव )

### बिहार विधान सभा सचिवालय

( सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र )

फरवरी-अप्रैल, 2023 की कार्यसूची

(खण्ड-11)

दिनांक-24 मार्च, 2023

माँग संख्या - 49

आय-व्ययक शीर्षक - जल संसाधन विभाग

20. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "जल संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **43,78,74,79,000/-** (तीनलाख अरब अठहतर करोड़ चौहतर लाख उनासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव गन्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 21-24. श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
गन्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 50

आय-व्ययक शीर्षक - लघु जल संसाधन विभाग

25. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लघु जल संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **10,20,71,26,000/-** (दस अरब बास करोड़ इकहतर लाख छब्बीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव गन्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 26-28. श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावगी एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
गन्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या - 24**

**आय-व्ययक शीर्षक - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग**

29. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **2,49,09,33,000/-** (दो अरब उनचास करोड़ नौ लाख तीनीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 30-31. श्री संजय सरावणी एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या - 36**

**आय-व्ययक शीर्षक - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

32. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **23,40,02,88,000/-** (तेईस अरब चालीस करोड़ दो लाख अट्ठासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 33-36. श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावणी, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं डॉ० सी० एन० गुप्ता प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

सभा सचिवालय द्वारा निर्गत अनुदान की माँगों की अनुसूची का औपर्योगिक कार्यक्रम से संबंधित पत्रांक-479, दिनांक-08.02.2023 एवं उपर्युक्त खण्ड में समिलित अनुदान की माँगों पर प्रस्तुत कर्तृती प्रस्तावों से संबंधित पूर्व में निर्गत ज्ञापांक-1240, दिनांक-06.03.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

**पवन कुमार पाण्डेय**  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

**कर्तृती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।**

ज्ञाप सं-आय-व्ययक-01/2023- 1667 /विंस०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(असोसिएट कुमार)  
निदेशक,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्यवक-०१/२०२३-

1667

/विंस०, पटना, दिनांक- २३ मार्च, २०२३ ई०।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

२३.३.२०२३

(असीम कुमार)

निदेशक,

ज्ञाप सं०-आय-व्यवक-०१/२०२३-

1667

/विंस०, पटना, दिनांक- २३ मार्च, २०२३ ई०।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (तीन प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२३.३.२०२३

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

२३.३.२०२३